an>

Title: Regarding missing of an Indian Air Force Plane AN-32.

–

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, लेकिन सरकार की तरफ से इसका रिप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे मालूम नहीं।

माननीय अध्यक्ष : प्रयास जारी है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, प्रयास जरूरी है, क्योंकि यह देश के हित में रहने की वजह से और सारे देश के लोग भी इस बारे में चिन्तित हैं। भारतीय वायु सेना का एएन-32 विमान शुक्रवार को चेन्नई पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर जाते वक्त अचानक लापता हो गया था। विमान में कुल 29 लोग सवार थे। वायु सेना के प्रवक्ता विंग कमांडर अनुपम बनर्जी के मुताबिक शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ बजे एएन-32 विमान 23 लोगों के साथ चेन्नई के तामबूम एयरबेस से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए उड़ा था। विमान में दो पायलट सहित कुल छह क्रू मेंबर थे। ये सभी क्रू मेंबर वायु सेना के थे। विमान को ठीक साढ़े ग्यारह बजे पोर्ट ब्लेयर के नौ सेना एयरबेस आई.एन.एस. उत्क्रोश पहुँचना था। विमान करीब 16 मिनट तक एटीसी के संपर्क में था। उसके बाद उसका कोई अता-पता नहीं चला। जिस वक्त विमान राडार से गायब हुआ, तब वह 23 हज़ार फीट की ऊँचाई पर था। जानकारी के मुताबिक चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की दूरी करीब 1375 किलोमीटर है और वायुसेना का यह विमान एक रूटीन फ्लाइट कुरियर था। यह विमान अंडमान निकोबार की ट्राई-सर्विस कमान के अधिकारियों और जवानों को लेकर ताम्बरम एयरबेस से पोर्ट ब्लेयर जाने वाला था। विमान में सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। विमान में छः क्रू मैम्बर्स, 23 यात्री, दो पायलट, एक नैवीगेटर, दो टैक्नीशियन थे और एक स्क्रू स्टॉक था। यात्री वायुसेना के कुल 11 लोग भी इसी में सवार थे। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना कुछ होते हुए भी ...(व्यवधान) मेरी आपसे रिक्वैस्ट है और सरकार से मांग है कि रक्षा मंत्री इसके बारे में बताएँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वहीं गए हैं शायद।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: शायद गए हैं लेकिन चार दिन हो गए हैं। यहाँ पर बतलाना चाहिए था। क्योंकि दूसरे लोग भी चिन्तित हैं और खासकर *â€¦* वे कहाँ हैं, उस परिवार के लोग इसके बारे में बहुत चिन्तित हैं। ...(व्यवधान) इसलिए कम से कम इस सदन से यह मालूम हो कि हुआ क्या है, गवर्नमैंट क्या एक्शन ले रही है और क्या लैप्सेज़ हो गए हैं या किसकी इसमें गलती है, ये सभी कुछ देश की जनता के सामने सदन के माध्यम से अगर डिफैन्स मिनिस्टर बताएँगे तो अच्छा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका उत्तर मँगाकर सदन के सामने रखें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र हुड्डा जी, मुझे मालूम है कि आपके एरिया से पायलट आ रहा है। श्री एम.के.राघवन, श्री दीपेन्द्र हुड्डा, श्री तुÂष्यंत चौटाला और श्री वाई.वी.सुब्बा रेड्डी, ये सभी लोग एसोसियेट करना चाहते हैं। बाकी और भी माननीय सदस्य जो एसोसियेट करना चाहते हैं, वे अपने नाम दें।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, अगर सभी बोलेंगे तो ठीक नहीं है। मंत्री बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): यह जो कहा गया है कि *â€¦* इसको रिकार्ड से निकाल देना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग एसोसियेट करें, मैं किसी को अभी बोलने का मौका नहीं दूँगी।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, यह जो कहा गया है कि *â€¦* इसको रिकार्ड से निकाल देना चाहिए। ...(व्यवधान) किसी की *â€¦* है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी किसी की *â€¦*

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं तो कह रही हूँ कि एसोसियेट करो। एकदम ऐसा कुछ बोलना ठीक नहीं है। आप एक-एक मिनट क्या बोलेंगे? मैं कह रही हूँ कि एसोसियेट करो। ऐसा एकदम से इस पर क्या बोलेंगे? प्लीज़, आप समझ लो। मैं मान रही हूँ कि आपके एरिया का मामला है, मगर सभी लोग चिन्तित हैं। अभी शोध चल रहा है, अभी कुछ भी मालूम नहीं है। एकदम से हमारे बोलने से क्या होगा? *â€¦* ऐसा कुछ मालूम नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ बोलना भी उचित नहीं है। यह जो *â€¦* ऐसा बोला गया है, इसको रिकार्ड से निकाल दें।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अजय मिश्रा टेनी को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, जो विÂषय उठाया गया, इसके बारे में पूरा सदन और पूरा देश चिन्तित है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और वायुसेना उस लापता विमान को ढूँढ़ने में लगी हुई है। उस विमान में जो लोग सवार थे, सबको रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। खड़गे साहब ने जो विÂषय उठाया, वह मैं रक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लेकर आऊँगा। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 14.20 hours.

13.19 hours

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Twenty Minutes past

Fourteen of the clock.

14.25 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twenty Five Minutes past

Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise the matters under rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

Now, we may take up item No. 15.